भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1307
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि मशीनीकरण उप मिशन के तहत ड्रोन के लिए राजसहायता

1307. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत स्थापित फसल कटाई के पश्चात् प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए संख्या कितनी है;

(ख) कम कृषि बिजली उपलब्धता वाले चिह्नित जिलों का राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए ड्रोन खरीदे जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ड्रोन खरीदने के लिए राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए कितने किसानों को राजसहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत ड्रोन खरीदने वाले किसानों की संख्या का राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि यंत्रीकरण उप -मिशन (एसएमएएम) राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में से एक है। इस स्कीम के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर पोस्ट हार्वेस्ट और प्रसंस्करण मशीनों सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किराये के आधार पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी और एफएमबी में फसल उत्पादन और फसलोपरांत व प्रसंस्करण मशीनों का संयोजन शामिल है और इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से लेकर 2024-25 तक (30.01.2025 तक) व्यक्तिगत किसानों को आपूर्ति की गई मशीनों की राज्यवार संख्या और फसलोपरांत व प्रसंस्करण मशीनों सहित स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी की संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख): नवंबर, 2020 में वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एसएमएएम के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, भारत में औसत फार्म पावर उपलब्धता 2.49 किलोवाट प्रति हेक्टेयर थी। आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों सहित 2.49 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से कम फार्म पावर उपलब्धता वाले जिलों की राज्यवार सूची **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग) से (ङ): एसएमएएम के तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन संस्थानों, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य और अन्य केंद्रीय सरकारी कृषि संस्थानों/विभागों और कृषि गतिविधियों में लगे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा किसानों के खेतों पर ड्रोन प्रदर्शन और खरीद के लिए प्रति ड्रोन लागत का 100% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर ड्रोन प्रदर्शन के लिए किसान ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान दिया जाता है। किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के तहत सीएचसी द्वारा ड्रोन की खरीद के

लिए 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ड्रोन की खरीद के लिए, छोटे और सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को लागत के 50% की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये और अन्य किसानों को 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अब तक एसएमएएम के अंतर्गत स्वीकृत ड्रोन की राज्यवार और संस्थान-वार संख्या **अनुबंध-III** पर दी गई है। ज़िलेवार आवंटन, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसएमएएम के अंतर्गत ज़िलेवार ड्रोन आवंटन अब तक राज्य द्वारा नहीं किया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.1307

अनुबंध- I

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एसएमएएम के अंतर्गत जारी राशि, वितरित मशीनें और स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी का राज्यवार विवरण (30.01.2025 तक)

राज्य	**जारी की राशि (करोड़ रूपये में)**	**वितरित कृषि मशीनरी की संख्या**	**स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों/हाई-टेक हब/फार्म मशीनरी बैंकों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	855.37	251514	10598
अरूणाचल	65.87	40824	13
असम	123.71	3163	787
बिहार	157.23	39535	2005
छत्तीसगढ	321.05	102736	2978
गुजरात	92.73	29733	247
हरियाणा	266.54	24870	2313
हिमाचल प्रदेश	173.81	43637	53
जम्मू और कश्मीर	76.71	19822	387
झारखंड	33.95	0	527
कर्नाटक	1036.38	306785	790
केरल	298.1	118105	1687
मध्यप्रदेश	511.85	279300	1778
महाराष्ट्र	602.93	103525	1430
मणिपुर	113.14	20283	820
मेघालय	25.19	2457	8
मिजोरम	43.7	5730	339
नागालैंड	231.65	21373	609
उड़ीसा	346.99	81831	1778
पंजाब	109.18	13648	1267
राजस्थान	145.21	32793	1854
सिक्किम	51.47	7128	52
तमिलनाडु	803.92	80758	4153
तेलंगाना	55.67	28954	195
त्रिपुरा	185.7	54915	727
उत्तर प्रदेश	671.56	182346	11591
उत्तराखंड	342.75	42294	2400
पश्चिम बंगाल	101.79	10997	774
दादर एवं नागर हवेली	1.10	89	0
पुदुचेरी	10.00	621	13
लद्दाख	1.03	1314	0
कुल	**7856.28**	**19,51,080**	**52,173**

अनुबंध- II

2.49 किलोवाट प्रति हेक्टेयर (किलोवाट/हेक्टेयर) से कम कृषि विद्युत उपलब्धता वाले जिलों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	2.5 किलोवाट/हेक्टेयर से कम कृषि विद्युत उपलब्धता वाला जिला
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कुरनूल, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम
2	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव, चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, निचला सुबनसिरी, पापुम पारे, तवांग, तिरप, ऊपरी सियांग, ऊपरी सुबनसिरी, पश्चिम कामेंग, पश्चिम सियांग, निचली दिबांग घाटी
3	असम	बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, दिमा हसाओ, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकांडी, कामरूप (आर एंड एल), कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, मोरीगांव, नागांव, शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया, उदलगुरी
4	बिहार	अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मेधेपुरा, शिवहर, सीतामढी, सुपौल
5	छत्तीसगढ़	गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, बंटेरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जगदलपुर, कोंडागांव, केकर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर
6	गुजरात	अमरेली, आनंद, भरूच, दोहद, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर
7	हरियाणा	भिवानी
8	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन
9	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, डोडा, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, उधमपुर
10	झारखंड	चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हज़ारीबाग़, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा
11	कर्नाटक	बागलकोट, बल्लारी, बीदर, चामराजनगर, चिक्कबल्लापुरा, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, हावेरी, कालाबुरागी, कोडागु, कोप्पल, मैसूरु, रायचूर, यादगिरी
12	केरल	एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पथानामथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, वायनाड
13	मध्य प्रदेश	अनुपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिम्हपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, सीधी, उमरिया, विदिशा
14	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बिड, बुलदाना, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल

15	मणिपुर	बिष्णुपुर, चंदेल, चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, सेनापति, तमेंगलोंग, थौबल, उखरुल
16	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, रिभोई, दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स
17	मिजोरम	आइजोल, चम्फाई, कोलासिब, लॉन्गत्लाई, लुंगलेई, ममित, सैहा, सेरछिप
18	नागालैंड	किफिरे, कोहिमा, लॉन्गलेंग, मोकोकचुंग, मोन, पेरेन, फेक, तुएनसांग, वोखा, जुन्हेबोटो
19	ओडिशा	अनुगुल, बारगढ़, भद्रक, बलांगीर, बौध, देवगढ़, ढेंकनाल, गजपति, गंजम, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नबरंगपुर, नयागढ़, नुआपाड़ा, फुलबनी, रायगड़ा, संबलपुर, सोनपुर, सुंदरगढ़
20	पंजाब	बरनाला, मोगा, मुक्तसर, शहीद भगत सिंह नगर, तरनतारन
21	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, एस. माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
22	सिक्किम	उत्तर सिक्किम, दक्षिण सिक्किम, पश्चिम सिक्किम
23	तमिलनाडु	कन्नियाकुमारी, पेरम्बलुर, रामनाथपुरम, शिवगंगई, थेनी, थूथुक्कुडी, तिरुचिरापल्ली, विरुधुनगर
24	तेलंगाना	आदिलाबाद, हैदराबाद, महबूबनगर
25	त्रिपुरा	धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा
26	उत्तर प्रदेश	अलीगढ, अम्बेडकर नगर, औरैया, बहराईच, बलिया, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फ़तेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, मैनपुरी, श्रावस्ती
27	उत्तराखंड	अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, गढ़वाल, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी
28	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदह, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण चौबीस परगना, उत्तर दिनाजपुर

लो.स.अता.प्र.सं.1307

अनुबंध- III

कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत अनुमोदित/वितरित ड्रोनों की राज्यवार और संस्थानवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	व्यक्तिगत किसानों को वितरण हेतु ड्रोनों की संख्या	सीएचसी में वितरण के लिए ड्रोनों की संख्या	प्रदर्शन के लिए ड्रोनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	-	1475	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-
3.	बिहार	5	-	-
4.	छत्तीसगढ	-	50	-
5.	कर्नाटक	-	7	-
6.	केरल	24	-	-
7.	मध्य प्रदेश	300	-	-
8.	महाराष्ट्र	17	25	-
9.	मणिपुर	-	4	-
10.	नागालैंड	-	2	-
11.	तमिलनाडु	10	-	-
12.	उत्तर प्रदेश	158	-	-
13.	उत्तराखंड	2	32	-
14.	पश्चिम बंगाल	4	-	-
15.	पुदुचेरी	5	-	-
16.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**आईसीएआर**)	-	-	170
17.	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित कृषि विश्वविद्यालय	-	-	33
18.	कृषि विज्ञान केंद्र (**केवीके**)	-	-	93
	कुल	**527**	**1595**	**296**

****